उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

—::— आ दे श —::—

क्रमांक सी/718 / जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2020
पांच—3—12/57 भाग—दस (आवंटन)

निर्देशानुसार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर में पदस्थ मिनिस्ट्रीयल अधिकारी/कर्मचारीगण जिन्हे शंकर शाह नगर, जबलपुर के अतिरिक्त जबलपुर नगर में अन्य स्थानों पर शासकीय आवासगृह आवंटित है, उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान आदेश जारी होने के दिनांक से 03 दिवस की अवधि में आदेश के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणापत्र में जानकारी प्रस्तुत करते हुये रजिस्ट्री को अवगत करायें कि जबलपुर नगर निगम सीमा के अर्न्तगत उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं का कोई आवासगृह है अथवा नही साथ ही उन्हे यह भी अवगत कराया जाता है कि निहित अवधि में यदि उनके द्वारा वांछित जानकारी निर्धारित घोषणा पत्र में रजिस्ट्री में प्रस्तुत नही की जाती है तो यह मान लिया जावेगा कि उनके अथवा उनके परिवार के नाम पर जबलपुर नगर निगम सीमा में स्वयं का आवासगृह है ।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

20.02.2020

(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री...आत्मज/पति.............
......................उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर में पदनाम.......................................के पद पर पदस्थ हूं। मुझे उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक.................................दिनांक....................के द्वारा जबलपुर में शासकीय आवासगृह क्रमांक **एफ/जी/एच/आई (चयनित श्रेणी पर सही का निशान लगाये)** क्रमांक.................. आवंटित शासकीय आवासगृह का पता...
......................आवंटित किया गया है।

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि जबलपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम स्वयं का आवासगृह **उपलब्ध है /उपलब्ध नही है (चयनित विकल्प पर सही का निशान लगाये)**।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

अनुभाग का नाम ....